समाचार

12 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया निगम अमले ने

(परसाभांठा बालको साप्ताहिक बाजार में निगम ने की कार्यवाही)

कोरबा 18 सितम्बर 2015 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर कार्यवाही करते हुए लगभग 12 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया गया। निगम द्वारा परसाभांठा बालको साप्ताहिक बाजार में आज 20 व्यवसायियों के यहां निरीक्षण कर जब्ती की यह कार्यवाही की गई।

शासन द्वारा 01 जनवरी 2015 से प्लास्टिक कैरीबैग के निर्माण, उपयोग, भण्डारण तथा उसमें सामग्री के परिवहन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन कराने के लिए प्रशासन द्वारा समय–समय पर इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी के निर्देश पर निगम अमले ने परसाभांठा बालको स्थित साप्ताहिक बाजार में दबिश दी तथा दुकानों का निरीक्षण किया। निगम अमले द्वारा फल सब्जी विक्रेताओं एवं खाद्य पदार्थ की दुकानों सहित लगभग 20 व्यवसायियों के यहां से 12 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग जब्त किया गया। निगम द्वारा आज साप्ताहिक बाजार में मुनादी भी कराई गई तथा व्यवसायीगणों को समझाईश दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग कदापि न करें, साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि वे प्लास्टिक कैरीबैग को उपयोग में न लायें।

परसाभांठा बालको साप्ताहिक बाजार में आज की गई उक्त कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डॉ.संजय तिवारी, राजस्व अधिकारी रवि गोसाई, तुलाराम देवांगन आदि के साथ निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारीगणों ने जब्ती आदि की कार्यवाही संपादित कराई।

संपादकव्यूरोचीफ......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)